प्रारूप

प्राकृतिक वनों के पुनर्वासन हेतु कार्यों के संचालन

जैविक–अजैविक दबाव के चलते प्राकृतिक वन विभिन्न परिमाणों में अवकृष्ट हुए हैं जिनके पुनर्वास हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वानिकी योजनाएं चलायी जाती रही हैं। कृषि रोड मैप के तहत् हरियाली मिशन संचालन के क्रम में वृहद आकार की वानिकी योजनाएं (अवकृष्ट वनों की पुनर्वास योजना, मृदा–जल संरक्षण कार्य, कटवैक ऑपरेशन आदि) विगत वर्षों से प्राकृतिक वनों में चलायी जा रही हैं। इस क्रम में, निम्नवत् बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं :–

1. अवकृष्ट वन भू–भाग को उपचारित करने हेतु स्थलीय आवश्यकता के अनुसार सभी कार्यों यथा वनस्पति से रिक्त स्थानों पर पौधरोपण, मृदा–जल संरक्षण कार्य, कटवैक ऑपरेशन, वर्षा जल संचय संरचना, क्षीण मृदा–सतह वाले स्थलों पर वर्षाकाल के आरंभ में घास के बीज का छिड़काव, झाड़ीदार एवं शुष्क जलवायु में उगने वाले स्थानीय प्रजातियों के पौधरोपण को योजना के सूत्रण में सकल तौर पर समेकित करके कार्य योजना बनाना और उन्हें लागू करना उचित होगा।

2. अवकृष्ट वनों को उपचारित करने के कार्य को वर्ष–दर–वर्ष एक दूसरे से लगे वनखंडों में क्रमवार और निरंतरतापूर्वक जारी रखना श्रेयस्कर होगा। विगत कार्यों के अनुश्रवण और रख–रखाव के साथ–साथ इससे यह सही आकलन हो पायेगा कि कितने भू–भाग को पूर्व में उपचारित किया जा चुका है और कितने अवशेष भू–भाग को और उपचारित करने की आवश्यकता है।

3. उचित होगा कि प्रादेशिक वन प्रमंडलों में उपलब्ध ज्वचवेीममजे को Digitized करा लिया जाय और उस पर watersheds को superimposed करा लिया जाय। इस हेतु एन0आई0सी0 टेक्नोलॉजी भवन, पटना में सुविधाऐं प्राप्त है और मुख्य वन संरक्षक आई0टी0 से सम्पर्क करके ये कार्य शीघ्र सम्पन्न करायी जा सकते हैं, परन्तु इस कार्य के अभाव में वर्णित दिशानुदेश कार्यान्वयन न रोका जाय।

4. इस क्रम में, विगत वर्ष उपचारित भू–भाग को नक्शे पर स्पष्ट रूप से दर्शा करके अंकित कर लेना होगा और जिस कार्य को कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित किया जा रहा हो, उसके लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इससे कार्यान्वयन और अनुश्रवण में स्पष्टता तथा सहुलियत प्राप्त होगी।

5. कार्यान्वयन हेतु योजना समर्पित करते समय उपर्युक्त उल्लिखित अभिलेख/सूचना को योजना के साथ संक्षेप में अवश्य संलग्न कर देना चाहिए, ताकि संबंधित स्तर को कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा हो।

6. प्राकृतिक वनों की पहाड़ियाँ या ढलाननुमा सतह वस्तुतः किसी–न–किसी जलछाजन/लघु जलछाजन का एक अंश होता है। श्रेयस्कर होगा कि बेतरतीव और आपस में बिखरे स्थलों पर कार्य प्रस्तावित न करके, किसी लघु जलछाजन भाग, पहाड़ी, उप वन परिसर को एक क्रम में उपचारित करने की योजना का सूत्रण और कार्यान्वयन किया जाय।

7. प्राकृतिक वनों की वह बाहरी सीमा जो राजस्व ग्रामों के भूखंडों अथवा राजस्व भू–भाग से सटी हो, और जहाँ पर जैविक दबाव अत्यधिक हैं, ऐसे वन भूभाग को प्राथमिकतापूर्वक पुनर्वास कार्य अंतर्गत ग्रहण करना चाहिए। मृदा–जल संरक्षण कार्यों के साथ–साथ यदि वर्षा जल संग्रह की संरचनाएं ढलान के निचले सिरे पर निर्मित की जा सकें तो उन्हें प्राथमिकता देते हुए, उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पौधरोपण कार्य संपादित करना चाहिए।

8. उपर्युक्त बिन्दु–6 में उल्लिखित कार्यों की सफलता में सुरक्षा उपायों की भूमिका अहम् है। स्थानीय जन समुदाय तथा ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समितियों की उपर्युक्त कार्यान्वयन में सहभागिता और सहयोग कैसे सक्रिय किया जाय इसका विश्लेषण करके योजना लागू करने पर विशेष बल देना चाहिए।

9. वृक्षारोपण कार्यों के लिए स्थल सफाई की क्रिया संपन्न की जाती है। सावधानी नहीं बरतने पर मजदूरों और स्थलीय वनकर्मियों द्वारा वैसी वनस्पतियों को भी पौधारोपण हेतु नष्ट करने की घटनाएं घट सकती हैं, जो भले ही वृक्ष प्रजातियों की श्रेणी में न आती हों, परन्तु वहाँ के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से वे महत्वपूर्ण हो। इस प्रकार की घटना नहीं घटित होनी चाहिए और आश्रयणी क्षेत्रों में विशेषतः इस संदर्भ में विशेष सजगता बरतने की आवश्यकता है।

10. योजना सूत्रीकरण के समय संबंधित कार्य नियोजना/प्रबंध योजना में अंकित सूचनाओं तथा अनुशंसाओं का भली–भाँति अवलोकन करके योजना निर्माण में उन्हें सम्मिलित करना चाहिए। वन भू–भाग में पौधारोपण कार्य के लिए, प्रजातियों के चयन हेतु विभाग द्वारा मॉडल प्रस्तावित हैं। यदि स्थल की आवश्यकतानुसार इनमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता हो तो सक्षम पदाधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके तद्नुसार कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

(**एस0 के0 सिंह**)
मुख्य वन संरक्षक–सह–
निदेशक, हरियाली मिशन,
बिहार, पटना।